15

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– बद्री नारायण मीना आर ए एस

अपील पत्र संख्या 04 /2013

रामकरण पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी कोलाडा तहसील बोली जिला स.माधोपुर

1/1 हंसराज पुत्र रामकरण

1/2 रामप्रसाद पुत्र रामकरण

1/3 कजोडी पत्नि रामकरण

1/4 परसादी पुत्री रामकरण

1/5 भंवर बाई पुत्री रामकरण

1/6 मनभर पुत्री रामकरण

समस्त जाति मीना निवासी कोलाडा तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर

...... अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामकरण
2. हरिकेश पुत्र रामकरण
3. रूपा पत्नि रामकरण

समस्त जाति मीना निवासी कोलाडा तहसील बोली जिला स.माधोपुर .

.... रेस्पोडेन्टस

अपील विरूध्द निर्णय दिनांक 05.07.2001 ग्राम पंचायत कोलाडा नामान्तरकरण सं. 1415

उपस्थित– श्री राजमल जैन एडवोकेट अपीलान्टस की और से

आदेश

दिनांक 11.11.22

अपीलान्टस की और से यह अपील इस आशय की दायर की कि ग्राम पंचायत कोलाडा ने नामान्तरकरण सं. 1415 दिनांक 5.7.2001 को तसदीक किया हैं जिसमें अपीलान्ट रामकरण की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 952/24 मिन रकबा 10 विस्वा, ख.नं. 696/2 विस्वा ख.नं.952/3 रकबा 1

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

बीघा 13 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 विस्वा का रामकरण अपीलान्ट की फोती बताकर रेस्पोडेन्टस के नाम नामान्तरकरण तसदीक कर दिया गया। जो बिलकुल गलत हैं । उक्त आराजी का सेटिलमेंट के बाद साविक ख.नं. 952/24 मिन 696/2, 952/3 के हाल खसरा नं. 2598 रकबा 0.07 है. 3293 रकबा 0.35 है. 3294 रकबा 0.20 है, कुल किता कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर कायम हुये। अपीलान्ट रामकरण को फोत बताकर उक्त नामान्तरकरण खोला गया हैं जबकि वह जिन्दा हैं तथा रामकरण का इंतकाल दिनांक 12.05.2016 को हुआ हैं इस कारण रामकरण के वारिसान को रिकोर्ड पर लिया गया हैं। अतः आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अदम तामील प्राप्त हुऐ तथा तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की कि ग्राम कोलाडा में इन नामो का कोई व्यक्ति नहीं हैं।

बहस अपीलान्ट सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया।विध्दान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तरकरण रामकरण के फोत होने पर विरासत का खोला गया हैं जबकि वह जीवित हैं तथा अपील रामकरण ने हीं पेश की हैं। रामकरण का इंतकाल दिनांक 12.5.16 को हुआ हैं इस कारण उसके वारिसान को अपीलान्ट बनाया गया हैं। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अध्ययन एवं मनन किया। रामकरण के मृत्यू प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की हैं जिसके अनुसार 12.5.2016 को मृत्यू होना पाया गया हैं। जबकि रामकरण को फोत बताकर ग्राम पंचायत कोलाडा के सरपंच ने दिनांक 5.7.2001 को हीं नामान्तरकरण सं. 1415 खोल दिया । यह बहुत हीं खेद का मामला हैं। परिणामतः अपीलान्ट ने यह अपील दायर की, अपील जेरेकार होते हुये रामकरण अपीलान्ट का दिनांक 12.5.16 को इंतकाल होने पर उसके वरिसान अपीलान्ट सं.1/1 ल. 1/5 को कायम मुकाम बनाया गया हैं। इसके समर्थन में ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 5.8.2013 भी पेश किया हैं कि

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

रामकरण पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी कोलाडा अभी जीवित हैं तथा इसके वारिस हंसराज, रामप्रसाद, व कजोडी देवी हैं, रामकरण भी अभी जीवित हैं।

अतः हमारे विनम्र अभिमत में उक्त नामान्तरकरण बिलकुल हीं विधि के विरूघ्द खोला गया हैं। जो निरस्त किया जाना न्याय के लिए अतिआवश्यक हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाती हैं। आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार बौली को निर्देश दिये जाते हैं कि पुनः अपीलान्टस रामकरण के वारिसान की जांच कर अन्दर मियाद 30 दिवस मे विधि अनुरूप पालना करते हुये पुनः रामकरण की विरासत का नामान्तरकरण तसदीक करें।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली,जिला स.मा.

निर्णय आज दिनांक 11.11.22 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाईमाधोपुर